

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में
भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली
मोटर मार्ग के कि.मी. 1 में मिलान।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 07.03.2014 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बिद्या दत्त जोशी, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री पूरन गिरी गोस्वामी, राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री आरपी.टम्टा, अपर सहायक अभियंता एवं श्री गोपाल चन्द्र तिवारी, सहायक अभियंता द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 है०, सिविल सोयम भूमि 0.576 है०, वन पंचायत भूमि 1.580 है० कुल 2.156 है० वन भूमि एवं 0.644 है० नाप भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है। आवेदित वन भूमि में न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई में जिन 2.50 वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

आवेदित वन एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) निवास नहीं करते हैं और परियोजना के निर्माण से इन वर्गों के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

(आर.पी.टम्टा)
अपर सहायक अभियंता
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

(पूरनगिरी गोस्वामी)
राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व विभाग, प्रतिनिधि

वनक्षेत्र अधिपति
धरमधर
वन विभाग, प्रतिनिधि

(जी.सी.तिवारी)
सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

प्रतिहस्ताक्षर

हस्ताक्षर काण्डा
जनपद-बागेश्वर

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिक

उपजिलाधिकारी
काण्डा

जिलाधिकारी
बागेश्वर